मैं एक शब्द और कहना चाहता हूं इस सिलसिले में। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हाई-कोर्ट को अधिकार है कि उनकी अपील सुन सके । लेकिन जब राज्य अधिकारी नीचे ही सब कुछ खत्म कर देगा तो कौनसा ऐसा रिकार्ड रह जायेगा, कौनसा सबत और शहादतें ऐसी रह जायेंगी जिनके आधार पर हाई कोर्ट में अपील हो सके और उस व्यक्ति को न्याय मिल सके। और दूसरे कितने ऐसे लोग होंगे जिनमें हाई कोर्ट तक जाने की ताकत होगी और जो ऊपर जाकर अपील से न्याय हासिल कर सकेंगे।

तो मैं चाहता हूं कि कम से कम अब सरकार संविधान को तोड़ने से इन्कार करे। जो संविधान की मंशा है उसकी कद्र करे और उसकी कद्र करते हुए यह जो मामूली सा सशोधन है उसे स्वीकार कर ले। सरकार न्यायपालिका और कार्यपालिका को इस प्रकार से अलग रखे। यदि सरकार इस संशोधन को मान लेगी तो मैं समझता हूं कि वह अपनी न्याय वृत्ति का परिचय देगी। यदि सरकार ऐसा करे तो अच्छा है।

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मुझे कोई और नयी बात नहीं कहनी है। समिति में इस प्रश्न पर काफी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। मैं सभा को बता चुका हूं कि सम्पदा अधिकारी केवल निष्कासन के लिये ही नहीं रखा जा रहा है, वह तो सरकारी सम्पदाओं के एक प्रबन्धक का ही कार्य करेगा। हां, वह निष्कासन के मामलों में सरकार की ओर से इस अधिनियम का पालन करवायेगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिरक्षा सम्पत्तियां भी रहेंगी, इसलिये हम किसी भी न्यायाधीश को सम्पदा अधिकारी के पद पर नियुक्त नहीं कर सकते। इसलिये इन संशोधनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** क्या सम्पदा अधिकारी को यह स्वयं-निर्णय करने की शक्ति प्रदान की जायेगी कि वह केवल उचित मामलों में ही निष्कासन का आदेश दे ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** जी, हां। सम्पदा अधिकारी को स्वयं-निर्णय की शक्ति रहेगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २१ और ४२ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय :** अन्य संशोधन अवरुद्ध हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खाद्य-स्थिति पर विचार करने के लिये अनौपचारिक बैठक के सम्बन्ध में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** यह एक ऐसा मामला है जिसका ताल्लुक सभा के सभी सदस्यों से है। आज सुबह चर्चा के दौरान में आपने सरकार को एक यह सुझाव दिया था कि खाद्य स्थिति के बारे में विचार करने के लिये सरकार को इस सभा के सभी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्र जवाहरलाल नेहरू]

दलों के सदस्यों से अनौपचारिक रूप से बातचीत करनी चाहिये। हम इस के लिये बड़ी खुशी से तैयार हैं। मैं ने तो, आपके एक और पहले के सुझाव के मुताबिक, विरोधी दलों के कुछ नेताओं को, जिन में राज्य सभा के कुछ सदस्य थे, इस के लिये बुलाया भी था। पिछले शुक्रवार को हमने खाद्य स्थिति के बारे में विचार करने के लिये एक ऐसी अनौपचारिक बैठक की थी। आज दोपहर के बाद भी एक ऐसी बैठक हुई थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह कोई एक बार बैठ कर ही चर्चा कर लेने का सवाल नहीं है ; यह बात चीत तो चलती ही रहनी चाहिये। हम चाहते यह हैं कि हम खाद्य सम्बन्धी तात्कालिक परिस्थिति पर ही विचार न करते रहें, बल्कि इस समस्या को हल करने के लिये अल्पकालीन व दीर्घकालीन दोनों प्रकार के उपाय करें। मतलब यह है कि इस समिति को, अनौपचारिक किस्म की होते हुए भी, अपनी बैठकें करते रहना चाहिये। हमने यह समिति अनौपचारिक इसलिये रखी है कि अनौपचारिक ढंग से चीज़ों पर चर्चा करना कहीं आसान होता है।

इन दो दिनों की चर्चा के दौरान में कई सदस्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण और सुझाव रखे और में समझता हूं कि उनसे काफ़ी फायदा हुआ है शायद हम ने उनको जो सूचना दी है उस से उन को भी कुछ फायदा हुआ होगा। यह अनौपचारिक समिति समय-समय पर अपनी बैठकें करती रहेगी।

अब, आपने जो सुझाव दिया है, उसे देखते हुए, हमने एक और बड़ी बैठक बुलाने का निश्चय किया है। ११ सितम्बर, बृहस्पतिवार को, यानी आज से तीन दिन बाद, सभी दलों के २५–३० सदस्यों की एक बैठक होगी। ११ सितम्बर से पहले यह बैठक रखना मुमकिन भी नहीं था। क्योंकि कल यहां एक प्रतिष्ठित व्यक्ति आ रहे हैं और उन से बातचीत होने के कारण हमें समय नहीं मिल सकेगा। आशा है कि ये सभी सदस्य इस कार्य में सहयोग करेंगे। हम उन से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। हम इस सवाल के बारे में जितनी भी हो सकेगी उतनी सूचना बड़ी खुशी से उन्हें बतायेंगे और उनके सुझावों को बड़े ध्यान से सुनेंगे।

जैसा मैं कह चुका हूं सरकार इस संबंध में पहले की और वर्तमान स्थिति के बारे में सारी जानकारी उनके सामने पेश करने को तैयार है। सरकार सभी सदस्यों के दृष्टिकोणों और नये सुझावों पर चर्चा करने के लिये तैयार है।

इतना ही नहीं, यदि ११ सितम्बर की बैठक में या उसके बाद आवश्यक समझा जाये, तो हम सभा में भी किसी उपयुक्त दिन इस विषय पर दो घंटे की चर्चा करने के लिये तैयार हैं। सरकार यह नहीं चाहती कि किसी भी सदस्य को यह कहने का मौका रहे कि सरकार की ओर से चर्चा की बात किसी भी ढंग से टाली गई है या उसमें रोड़ा अटकाया गया है। अभी कुछ ही दिन पहले इस विषय के सम्बन्ध में एक ब्योरेवार चर्चा हो चुकी है—आज से आठ दिन बाद, अगले हफ्ते, राज्यसभा में भी खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा होने जा रही है। खैर वह बहस दूसरी सभा में होगी। लेकिन हम इस संबंध में कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि इस में केन्द्रीय सरकार का या राज्य सरकार का दायित्व कितना है, और इस प्रश्न का संवैधानिक पक्ष क्या है,—इन सब सवालों का फैसला तो आप को ही करना है। आप जो भी निर्णय करेंगे, हमें मान्य होगा। मेरा ख्याल यह है कि हम केवल विधि और व्यवस्था से ही संबंध रखने वाले प्रश्नों पर चर्चा नहीं कर सकते।

लेकिन इसके अलावा भी मैं यह नहीं चाहता कि खाद्य स्थिति से संबंधित इस चर्चा को वैधानिक व्याख्या के बड़े नियमों की सीमाओं में ही रखा जाये। इसीलिये, मैं कह रहा हूं कि ११ सितम्बर की बैठक के बाद यदि आप ठीक समझें, तो हम आप से सभा में दो घण्टे की चर्चा के लिये एक उपयुक्त तिथि नियत करने के लिये कहेंगे। समय का निर्णय सभा और आप दोनों कर सकते हैं। मैं सभा को एक और सूचना दे दूं। सभा जिन क्षेत्रों के बारे में चिन्तित हैं उनमें एक क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों का भी है। इन ज़िलों में खाद्य संकट के कारण जनता को काफी तंगी हो गई थी। इन ज़िलों की वर्तमान परिस्थिति के बारे में, मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही नहीं, इस सभा के सदस्यों ने भी, जो उन क्षेत्रों से वापस आये हैं, हमें हाल में जो सूचना दी है उसके अनुसार वहां फसल काफ़ी अच्छी होने की आशा है। पिछले दो-तीन दिनों में वहां काफ़ी अच्छी वर्षा हो गई है और उससे सभी को बेहद खुशी हुई है। इसलिये हम थोड़े यकीन के साथ कह सकते हैं कि वहां अगली फसल अच्छी ही रहेगी।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** (नासिक) : माननीय प्रधान मंत्री ने अभी कहा है कि इस समिति में सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल किये गये हैं। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, उसमें रिपब्लिकन दल का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं छोटी अनौपचारिक समिति की बात कह रहा था। उसमें बहुत अधिक संख्या में प्रतिनिधि बुलाना सम्भव नहीं था। अब जो एक बड़ी अनौपचारिक का सुझाव मैं रख रहा हूं, आशा है कि उसमें सभी समहों के प्रतिनिधियों को बुलाया जा सकेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य से काफी तनाव दूर हो गया है। मुझे आशा है कि इस अनौपचारिक सम्मेलन में लगभग सभी चीज़ें तय हो जायेंगी। स्थगन प्रस्ताव की चर्चा में यह सब नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें प्राविधिकता का ध्यान ज्यादा रखा जाता है। उसकी चर्चा में यह प्रश्न भी उठता है कि खाद्य केन्द्र के क्षेत्राधिकार में है भी या नहीं। उसमें यह प्रश्न भी उठता है कि यदि सरकार इस संकटपूर्ण परिस्थिति के लिये उत्तरदायी नहीं है तो उस दशा में स्थगन प्रस्ताव रखा भी जाना चाहिये या नहीं

मुझे पूरी आशा है कि खाद्य सम्बन्धी सामान्य चर्चा के दौरान में माननीय सदस्य कुछ ठोस प्रस्ताव रखेंगे। हमें इस तनाव की स्थिति को दूर करना चाहिये। यदि ज़रूरी समझा जायेगा, तो मैं इस अनौपचारिक बैठक के बाद, सभा में इस विषय की चर्चा के लिये कोई तिथि नियत कर दूंगा।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : इस वक्तव्य की भावना बड़ी अच्छी है। क्या प्रधान मंत्रा उत्तर प्रदेश सरकार से भी ऐसी ही भावना प्रदर्शित करने के लिये अनुरोध करेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मैं कल ऐसी अपील लगभग सभी राज्य सरकारों से कर चुका हूं।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : अच्छा हो यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसी ही एक अनौपचारिक बैठक उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के साथ राज्य के स्तर पर भी करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं उत्तर प्रदेश जाने के लिये तैयार हूं. लेकिन मुश्किल यह है कि मुझे भूटान भी जाना है। फिर भी मैं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सम्पर्क बनाये रहता हूं। मुझे आशा है कि जल्द ही वहां की स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : मेरा सुझाव यह है कि प्रधान मंत्री को उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से अपील करनी चाहिये कि वह भी ऐसा ही एक अनौपचारिक सम्मेलन आयोजित करे।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : मैंने राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है कि वे भी ऐसी छोटी छोटी अनौपचारिक समितियों की बैठकें बुलायें और उनमें विरोधी दलों के नेताओं को आमंत्रित करे।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभा के सभी दलों से इसमें सहयोग करने की अपील करता हूं। भूख हड़ताल करने वाले माननीय सदस्यों को अपनी भूख हड़ताल वापिस ले लेनी चाहिये ताकि सभी शान्त वातावरण में सहयोग कर सकेंगे।

इस के पश्चात् लोक-सभा, मंगलवार, ९ सितम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में